भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>लोक सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 2088</u>

(जिसका उत्तर सोमवार, 08 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है)

आयकर संग्रहण

2088. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोविड-19 महामारी के दौरान आयकर संग्रहण में काफी कमी आई है और यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार 'विवाद से विश्वास' योजना शुरू करने के बाद से आयकर के मामलों के निपटारे का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 'विवाद से विश्वास' योजना के तहत आज तक कुल कितने मामलों का निपटान किया गया है;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश में आयकर भरने वाले लोगों की संख्या कम हुई है;

(ड.) यदि हां, तो क्या सरकार आयकर में छूट प्रदान करने की सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले लोगों को आयकर के दायरे में लाने के लिए कदम उठाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में प्रत्यक्षकर संबंधी वाद-विवाद की दर कम करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) जी हां, कोविड-19 के कारण प्रत्यक्ष कर संग्रहण में कमी आई है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान प्रत्यक्ष करों का निवल संग्रहण 10,50,711 करोड़ रूपए का हुआ था। कोविड-19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए वित्त वर्ष 2020-21 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लक्ष्य को कम करके 9,05,000 करोड़ रूपए कर दिया गया है।

01.04.2020 से 28.2.2021 तक की अवधि के दौरान 9,05,000 करोड़ रूपए के लक्षित प्रत्यक्ष कर के संशोधित बजट अनुमान के एवज में, प्रत्यक्ष करों में निवल संग्रहण की राशि 732388.72 करोड़ रूपए

की वसूली हुई है। लक्ष्यों की तुलना में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में रह जाने वाली किसी भी कमी का आकलन केवल वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद ही किया जा सकता है।

आगे इस वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष कर में संशोधित बजट अनुमान को प्राप्त करने हेतु, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

i. संभावित करदाता की पहचान करने और कर आधार को बढ़ाने हेतु डाटा माइनिंग और आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है।
ii. छानबीन के आकलन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए 'फेसलैस' मूल्यांकन योजना को लागू किया गया है।
iii. संभावित बड़े कर अपवंचन के मामलों में सर्वेक्षण और तलाशी के कार्य किए गए हैं।
iv. कर संग्रहण की कमी से उबरने के लिए, वित्त बिल 2021 में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और बेहतर कर अनुपालन और विवाद समाधान तंत्र के द्वारा कर संग्रहण में सुधार होने की संभावना है। इस उद्देश्य के लिए, वित्त विधेयक 2021 द्वारा एक नए विवाद समाधान समिति(डीआरसी) का प्रस्ताव है, जोकि आसान व तीव्र विवाद समाधान को प्रोत्साहित करेगा।

(ख) एवं **(ग)** जी हां। 'विवाद से विश्वास' योजना के तहत दायर की गई घोषणाओं से संबंधित आंकड़े इस प्रकार है:-

विवाद से विश्वास योजना के तहत दायर घोषणाओं की वर्तमान स्थिति (22.02.2021 5 बजे तक)			
	दायर फार्म-1 की संख्या	**विवादित कर (फार्म-1 के अनुसार) (करोड़ रूपए में)**	**विवादित कर के एवज में भुगतान(करोड़ रूपए में)**
केन्द्रीय पीएसयू	1393	35129	27720
राजकीय पीएसयू/बोर्डस्	833	1619	1023
अन्य	126507	61579	24603
सकल योग	**128733**	**98328**	**53346**

(घ) पिछले 3 वित्तीय वर्षों में करदाताओं द्वारा दायर आयकर विवरणियों की संख्या निम्न प्रकार से है:-

वित्तीय वर्ष	**कुल दायर आईटीआर(करोड़ में)**
2017-18	6.87
2018-19	6.74
2019-20	6.78

(ड.) सरकार ने आयकर की छूट की सीमा से अधिक अर्जित करने वाले लोगों को आयकर के दायरे में लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-:-

(i) उन व्यक्तियों/संस्थाओं का पता लगाने के लिए जो उच्च मूल्य के वित्तीय लेन-देन किए हैं परन्तु उन्होंने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, आयकर विभाग ने नॉन फाइलर मॉनिटरिंग व्यवस्था(एनएमएस) लागू की है जो कि 'इन-हाऊस' सूचना को आत्मसात व विश्लेषित करने के साथ-साथ तीसरे पक्ष से प्राप्त लेन-देन संबंधी आँकड़े जिसमें वित्तीय लेन-देन का विवरण(एसएफटी) शामिल हैं, स्रोत पर कर की कटौती(टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण(टीसीएस), खुफिया और आपराधिक जांच(आई एवं सीआई) आंकड़े और सोशल मीडिया इत्यादि शामिल हैं।

(ii) कर अनुपालन बढ़ाने हेतु, गैर घुसपैठ सूचना संचालन दृष्टिकोण को मजबूत बनाने के लिए आयकर विभाग ने 'प्रोजेक्ट इनसाइट' को शुरू किया है।

(iii) एक संशोधित फार्म 26एएस जिसमें वित्तीय लेन-देन विवरण(एसएफटी) से उच्च मूल्य लेन-देन संव्यवहार शामिल है, को लागू किया गया।

(iv) संपत्ति, शेयरों, बॉन्ड, बीमा, विदेश यात्रा और 'डीमैट खाते' के बारे में विशेष लेन-देन संव्यवहारों के लिए स्थायी खाता संख्या(पैन) का उल्लेख करना अनिवार्य बना दिया गया है।

(v) अन्य बातों के साथ-साथ उच्च मूल्य लेन-देन संव्यवहारों पर व्यापक रूप से नजर रखने के लिए, सरकार ने 100 से अधिक प्रपत्रों में आधार नंबर और पैन का एक दूसरे के बदले प्रयोग किए जाने की अनुमति दी है।

(vi) स्रोत पर कर कटौती(टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) के दायरे में कुछ नए लेन-देन संव्यवहारों को लाकर कर आधार को विस्तारित करने के लिए टीडीएस/टीसीएस के क्षेत्र को आगे बढ़ाया गया है। इन लेन-देन संव्यवहारों में, बड़ी नकद निकासी, विदेशी प्रेषण, महंगी कारों की खरीद, सामान की बिक्री, अचल संपत्ति की खरीद इत्यादि शामिल है।

(vii) सूचना की सीडिंग और कर कमियों को पहचानने और कर नेट को व्यापक बनाने व राजस्व-रिसाव की पहचान के लिए अंतर-एजेंसी सहयोग को सक्षम बनाने हेतु विभाग ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय (एमओएमएसएमइ), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड(सीबीआईसी) और एसईबीआई के साथ समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया है।

(viii) उपर्युक्त उपायों के अलावा विभाग रिटर्न दायर नहीं करने वालों को कर नेट में लाने का प्रयास कर रहा है जिसमें संभावित कर फाइल न करने वालों को पहचानने के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्र-विशेष रणनीति तैयार करना, स्वैच्छिक अनुपालन को बढावा देने के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए संचार मीडिया का व्यापक प्रयोग, अनुपालन को लागू करने के लिए वैधानिक नोटिस जारी करना, आयकर रिटर्न एवं स्वैच्छिक रूप से फाइल करने को बढावा देने के लिए फाइल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल किया है।

(ix) करदाताओं को कर विवरणी भरने एवं बकाया चुकता करने के लिए ई-मेल एवं एसएमएस से अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

(x) आयकर विभाग ने कर विवरणी फाइल करने, टीडीएस रिटर्न, कर भुगतान एवं पैन आधार लिंक करने की निर्धारित तारीख के संबंध में नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए टीवी चैनलों, रेडियो, प्रिंट मीडिया, सिनेमा घरो एवं सोशल मीडिया पर प्रचार अभियान चलाया है। विभाग के आयकर सेवा केंद्रों के माध्यम से पूरे भारत में जागरूकता फैलाने के लिए एवं स्वैच्छिक अनुपालन में वृद्धि के लिए विवरणिका भी बांटी गई हैं।

(xi) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति को ऐसे किसी क्रेता द्वारा(बिक्री वाले वर्ष से ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में जिसकी बिक्री/कारोबार 10 करोड़ रूपए या इससे अधिक का हो) माल की खरीद पर किए गए भुगतान पर 0.1% की दर से टीडीएस।

(xii) आयकर विवरणी को दायर न करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए वित्त विधेयक, 2021 में यह प्रस्ताव किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने जिस वर्ष कर का संग्रहण किया जाता है उस वर्ष कोई लेन-देन किया है और उस वित्तीय वर्ष और उसके ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में आयकर विवरणी नहीं भरा है तो उससे उच्च दर से कर की कटौती वसूली की जायेगी।

(च) सरकार प्रत्यक्ष कर में मुकदमेबाजी एवं कर विवाद को कम करने के लिए एवं देश में आयकर संग्रह को बढ़ाने के लिए निम्न उपाय किए हैं:-

(i) किसी मामले की अपील विभिन्न अपीलीय अधिकारियों के समक्ष रखने की कर प्रभाव की मौद्रिक सीमा को, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 50 लाख रूपए, उच्च न्यायाल के लिए 1 करोड़ रूपए एवं सर्वोच्च न्यायालय के लिए 2 करोड़ रूपए तक कर दिया गया है।

(ii) इस अधिनियम में धारा 270कक को जोड़ा गया है जिससे कि करदता को दंड और अभियोजन से उस समय उन्मुक्ति मिल जाती है जब वह आकलन आदेश के अनुसार कर और ब्याज का भुगतान मांग नोटिस के निर्धारित समय-सीमा के भीतर कर देता है और ऐसे आदेश के खिलाफ कहीं अपील भी नहीं करता है।

(iii) अंतरण मूल्य से संबंधित मामलों में, वित्त अधिनियम, 2009 मे धारा 122ग को जोड़ा गया है, जो करदाता को यह सुविधा देता है कि वह कर-निर्धारण आदेश मसौदे पर, जो उसको अग्रेषित किया गया है, पर अपनी आपत्ति डीआरपी को फाइल करा सकता है। डीआरपी तीन मुख्य कमिश्नरों या आयकर कमिश्नरों का कॉलेजियम है जो इस प्रकार की आपत्ति पर विचार करने एवं कर निर्धारण अधिकारी के संपूर्ण कर-निर्धारण करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति रखता है।

(iv) धारा 92गग जिसे वित्त अधिनियम, 2012 के तहत अधिनियम में शामिल किया गया था, करदाताओं को अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता(एपीए) में शामिल होने का अवसर देता है, जो बोर्ड एवं किसी भी व्यक्ति के बीच एक समझौता है, जो अग्रिम रूप से अंतरराष्ट्रीय लेन-देन से संबंधित व बाजार में प्रचलित मूल्य पर या बाजार मूल्यनिर्धारित करने के तरीके(या दोनों) को निश्चित करता है।

(v) वित्त(संख्या-2) अधिनियम, 2009 के माध्यम से अधिनियम में सुरक्षित बंदरगाह नियम को शामिल किया गया है, जो उन परिस्थितियों में सुविधा प्रदान करता है जब आयकर अधिकारी, निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरिम मूल्य को अंतरराष्ट्रीय लेन-देन एवं विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन में स्वीकार करेंगे। यह करदाता को मूल्य अंतरण निर्धारण की अनिश्चितता एवं दीर्घ-मुकदमेबाजी से बचाता है।

(vi) प्रत्यक्ष कर विवादों के निपटारे के लिए विवाद से विश्वास योजना को अधिसूचित किया गया है।

(**vii)** कर-निर्धारण आदेशों, अपील आदेशों एवं अर्थ दंड आदेशों की गुणवत्ता एवं निष्पक्षता को बढ़ाने के लिए फेसलैस मूल्यांकन, फेसलैस अपील एवं फेसलैस अर्थदंड योजनाओं को प्रस्तुत किया गया है जिसके परिणामस्वरूप मुकमदमेबाजी में पर्याप्त कमी आयी है।

(viii) छोटे करदाता अपने विवाद न्यूनतम लागत एवं अनुपालन भार के साथ निपटा सकें, इस उद्देश्य हेतु वित्त विधेयक, 2021 में एक या अधिक डीआरसी को गठित करने का प्रस्ताव दिया गया है, जो मुख्य रूप से ऐसे करदाताओं के प्रति लक्षित हैं। डीआरसी को किसी भी प्रकार के दंड को कम करने या दंड मुक्त करने या अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध के अभियोग से प्रतिरक्षा देने का अधिकार होगा।

(ix) इसके साथ, क्षेत्र-अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया गया था कि अपील सिर्फ इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि किसी विशेष मामले में कर प्रभाव निर्धारित मौद्रिक सीमा से अधिक हो गया है और अपील के गुण/दोष को समझकर कर ही अपील दायर करने का निर्णय लेना चाहिए।

******